

नाम / उपनाम परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र

इस बन्ध-पत्र द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो (सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये पद का नाम) के रूप में स्थान जहां सरकार के विभाग में नियुक्त है (पर नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी।

एतद् द्वारा :-

1. मैं स्वयं तथा मेरे पति / मेरी पत्नि, सन्तान तथा दूसरे की सन्तान जो पूर्णतया मेरे पर आश्रित है, मेरे पूर्व नाम उपनाम को त्यागता हूँ/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नया नाम/नया उपनाम ग्रहण करता हूँ/करती हूँ एवं इसलिये मैं, मेरे पति/मेरी पत्नि, सन्तान तथा दूसरों की सन्तान जो पूर्णतया मेरे पर आश्रित है इसके पश्चात मेरे पूर्व के नाम/उपनाम से नहीं जाने जायें तथा नहीं पहचानी जाये अपितु ग्रहण किये गये नाम/उपनाम द्वारा जाने जायें।
2. मेरे उक्त निर्णय की साक्ष्यता के लिये घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं एतद् पश्चात सभी समय निजी अथवा सार्वजनिक सभी अभिलेखों में, बन्ध-पत्र एवं प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों/व्यवहारों एवं लेन-देन तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम तथा उपनाम के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में नाम के रूप में उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी तथा हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद् द्वारा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरे पति/मेरी पत्नि, मेरी सन्तान तथा दूसरे की सन्तान जो पूर्णतया मेरे पर आश्रित है को तदनुसार नया रखा गया नाम उपनाम के नाम से सम्बोधित करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ/करती हूँ तथा उसके लिये निवेदन करता हूँ/करती हूँ। इसी साक्षी में मैंने अपने पूर्व नाम एवं नया नाम का वर्णन किया तथा दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये है।

साक्षी :-

नाम एवं उपनाम परिवर्तन करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर

1. नया नाम : हस्ताक्षर
2. पुराना नाम : हस्ताक्षर